राजस्थान सरकार

देवस्थान विभाग

क्रमांक: प.3(5)देव/2013 **जयपुर, दिनांक 12.10.2017**

संभागीय आयुक्त (समस्त)

जिला कलेक्टर (समस्त)

दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना- 2017 हेतु ट्रेन प्रभारी/चिकित्सा अधिकारी/नर्सिंग स्टाफ/अनुरक्षकों तथा सुरक्षाकर्मी की नियुक्ति व अन्य कार्यवाही हेतु।

परिपत्र

दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत यात्रियों के चयन एवं समुचित प्रबन्ध व्यवस्था हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पं. 6(19) प्र.सु./अनु.-3/2014 जयपुर दिनांक 09.12.2014 द्वारा जिला स्तर पर समिति का गठन किया हुआ है, जिसमें यद्यपि जिले के प्रभारी मंत्री/शासन सचिव को अध्यक्ष बनाया गया है, किन्तु उनकी अनुपस्थिति में जिला कलेक्टर को समिति की बैठकों की अध्यक्षता हेतु अधिकृत किया गया है। (प्रति संलग्न)

इसी संबंध में देवस्थान विभाग द्वारा यात्रा में यात्रियों के साथ जाने हेतु नियुक्त किये जाने वाले कार्मिकों के चयन के संबंध में परिपत्र (क्रमांक: प.3(5)देव/2013 जयपुर, दिनांक 23.12.2014, 20.08.2015, 30.11.2016) भी जारी किया गया है। (प्रति संलग्न)

इस हेतु पूर्वानुसार तीर्थ यात्रियों के साथ जाने व अन्य सहयोग हेतु टे ्न प्रभारी/चिकित्सा अधिकारी/नर्सिंग स्टाफ/अनुरक्षकों तथा सुरक्षाकर्मी की नियुक्ति व अन्य समन्वय हेतु विभिन्न बिंदुओं एवं दिशा निर्देशों को समाहित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं-

यात्रा हेतु अधिकारियों एवं कार्मिकों की नियुक्ति- इसमें प्रत्येक ट्रेन के साथ निम्न अधिकारी/कार्मिक जाएंगे:-

क्र.सं.	**यात्रा पदाधिकारी**	**संख्या**	**प्रावधान**
1.	ट्रेन प्रभारी	1	राजपत्रित अधिकारी
2.	चिकित्सा अधिकारी	2	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक चिकित्सा व मौसमी बीमारियों के लिए आवश्यक किट एवं दवाईयों की व्यवस्था सहित

3.	नर्सिंग कर्मी	2	उक्तानुसार
4.	अनुरक्षक (कर्मचारी)	30	प्रत्येक कोच में 2 अनुरक्षक (राजकीय कर्मचारी) इस हेतु 40 अनुरक्षकों की सूची तैयार की जाएगी , जिनमें 30 कार्मिक मुख्य सूची में रखते हुए 10 कार्मिक आरक्षित सूची में रखे जाएंगे। ये अनुरक्षक मंत्रालयिक संवर्ग /शिक्षक ग्रेड-III/शारीरिक शिक्षक/पटवारी/ग्राम सेवक एवं उनके समकक्ष ग्रेड पे में कार्यरत कर्मचारी में से होंगे।
5.	सुरक्षा कर्मी	5	पुलिस विभाग के अंतर्गत कार्यरत सुरक्षा कर्मी 4 + 1 4 कांस्टेबल, 1 हेड कांस्टेबल

कार्मिकों के चयन संबंधी सामान्य प्रावधान-

- कार्मिकों का चयन राजकीय विभागों के कार्मिकों से किया जाएगा। यात्रा पदाधिकारियों की सूची निम्न प्रपत्र में बनायी जाएगी-

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.	**कार्मिक का नाम**	**मो. नं.**	**पद**	**विभाग**	**यात्रा हेतु तीर्थ स्थल**

- उक्त यात्रा पदाधिकारीगण के चयन में सबसे बडी संख्या अनुरक्षकों की है। प्रत्येक ट्रेन में औसतन 14-15 कोच होते हैं , जिनमें कर्मचारीगण के अतिरिक्त राज्य स्तर पर निर्धारित यात्रा परामर्श समिति के सुझाव अनुसार कतिपय सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी नियुक्ति की जा सकती है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के रूप में जाने वाले अनुरक्षकों की संख्या में तत्समय कमी की जा सकती है। इस संबंध में विभाग द्वारा यात्रा से पूर्व सूचित कर दिया जाएगा , परन्तु इससे पूर्व निर्धारित आवश्यक संख्या में अनुरक्षकों की सूची तैयार कर प्रेषित कर दी जाए।

- कार्मिकों के चयन में यथासंभव 50 वर्ष से कम एवं शारीरिक रूप से लम्बी रेल यात्रा हेतु सक्षम अधिकारी/कर्मचारी ही लिये जाएंगे।

- कार्मिकों का चयन जिला कलक्टर के द्वारा किया जाकर सूची संभागीय आयुक्त को संदर्भित करते हुए देवस्थान आयुक्त, उदयपुर को प्रेषित की जाएगी। सुविधानुसार इसे विभाग की वेबसाइट पर सीधे अपलोड हेतु भेजा जा सकता है। इस हेतु एसीपी के माध्यम से सूची को मेल भी किया जा सकता है। सूची जिला प्रशासन द्वारा देवस्थान विभाग के मेल आईडी devasthan@hotmail.com या devasthanrajasthan@gmail.com पर भेजी जा सकती है।

कार्मिकों के चयन के उपरान्त उनके प्रशिक्षण एवं अन्य व्यवस्था संबंधी सामान्य प्रावधान-

1 चयन के उपरान्त कार्मिकों को उनके निर्धारित दिशा-निर्देश से अवगत कराते हुए समुचित प्रशिक्षण दिया जाना है।

2 नियमानुसार समस्त तीर्थयात्रियों को यात्रा से पूर्व मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं। इस हेतु पात्रता का नियम यह है कि यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग यथा टी0बी0, कांजेस्टिव कार्डियक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी , कोरोनरी अपर्याप्तता, कोरोनरी थ्रंबोसिस, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो। इस हेतु वरिष्ठ नागरिक की चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा की वह व्यक्ति प्रस्तावित दस दिवसीय यात्रा हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम है। अतः उक्तानुसार यात्रियों के गहनता पूर्वक मेडिकल चेकअप करवाने की व्यवस्था की जानी है,

3 यात्रियों के लिए सामान्यतः संभागीय मुख्यालयों से टे ªन रवाना की जाती है, परंतु उसमें भी यात्रा के रूट एवं यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यात्रा प्रारम्भ स्थल निर्धारित किये जाते हैं। इस संबंध में यात्रियों को एसएमएस द्वारा भी सूचित किया जाएगा , किंतु इसमें विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से सूचित किया जाना भी आवश्यक होगा। इस संबंध में समस्त सूचना विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

4 प्रत्येक ट्रेन हेतु एक राजकीय चिकित्सा अधिकारी एवं दो नर्सिंगकर्मी की नियुक्ति की जानी है तथा उनके लिए प्राथमिक चिकित्सा व मौसमी बीमारियों के लिए आवश्यक किट एवं दवाइयों की व्यवस्था भी की जानी है, इस हेतु चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर समुचित सूचना सहित आवश्यक किट भी उपलब्ध करवाने की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी।

5 सभी जिला कलेक्टर्स द्वारा उक्त कार्यों के निष्पादन के साथ-साथ योजना की सफल क्रियान्विति हेतु की जा रही कार्यवाही का पर्यवेक्षण व समीक्षा (Supervision and Monitoring) करना एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी भी आवश्यक होगा। इस संबंध में आवश्यकतानुसार योजना का प्रचार-प्रसार करने , आवेदकों को सूचित करने एवं उनसे संवाद स्थापित करने में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

6 चूंकि यात्रा का प्रस्थान स्थल मुख्यतः संभागीय मुख्यालय है अतः संभागीय आयुक्त द्वारा भी इस संबंध में पूर्वानुसार पहल व समन्वय आवश्यक होगा।

7 उक्त यात्रा में समस्त माननीय सांसदगण/विधायकगण व अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता रहेगी। अतः उन्हें भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने विशेषतः यात्रा प्रारम्भ होने के समय आमंत्रित करने की कार्यवाही की जानी होगी।

8 संभागीय मुख्यालय से यात्रा ट्रेन रवाना करवाते समय वहां यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक अधिकारी लगाए जाएंगे, जो विभिन्न कार्यों एवं दायित्वों के अनुसार नियुक्त होंगे। इस संबंध में रेलवे स्टेशन पर टैन्ट एवं कुर्सी आदि की व्यवस्था आई.आर.सी.टी.सी. (IRCTC) द्वारा की जाएगी। किन्तु उसमें समन्वय हेतु जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

9 यात्रा के संबंध में राज्य स्तर एवं आयुक्तालय स्तर पर कन्ट्रोल रूम बनाए गए हैं जो 24 घंटे संचालित होंगे। इस संबंध में ट्रेन प्रभारी/चिकित्सा अधिकारी/अनुरक्षकों से निरन्तर दूरभाष से संपर्क बनाये रखना एवं यात्रा में

आ रही किसी भी प्रकार की कठिनाई बाबत मुख्यालय व आई.आर.सी.टी.सी. के अधिकारियों को अवगत कराकर निराकरण कराने में भी जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

10 चयनित यात्रियों की गन्तव्य स्थानवार सूची आयुक्त , देवस्थान द्वारा आई.आर.सी.टी.सी. को उपलब्ध करा दी जाएगी। यात्रा आरम्भ होने से न्यूनतम 15 दिवस पूर्व उक्त चयनित कार्मिकों की सूची उपलब्ध होनी आवश्यक है। अतः यात्रा की तिथि से पूर्व उक्त सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11 उक्त समस्त सूचना एवं समन्वय हेतु सहायक आयुक्त , देवस्थान को निर्देशित किया गया है , जिसमें वे जिला प्रशासन एवं आयुक्तालय के मध्य संवाद स्थापित करते हुए यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। चूंकि सहायक आयुक्त, देवस्थान के कार्यालय सामान्यतः संभागीय मुख्यालयों तक ही हैं, अतः अन्य जिलों में जब उनकी उपस्थिति वांछनीय हो जिला कलेक्टर उन्हें तदनुरूप सूचित व निर्देशित कर सकेंगे।

12 यात्रा संबंधी अन्य विवरण **परिशिष्ट** के रूप में संलग्न है -

(कृष्णा कान्त पाठक)

शासन सचिव, देवस्थान

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री (समस्त जिला प्रभारी मंत्रीगण)।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री,(स्वतन्त्र प्रभार) देवस्थान विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (समस्त जिला प्रभारी सचिव)।
5 आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर।
6. समस्त सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग।

संयुक्त शासन सचिव, देवस्थान

परिशिष्ट

1. यात्रा हेतु तीर्थ स्थल व प्रस्थान स्थल
2. तीर्थ यात्रा योजना की गतिविधियों का कलेण्डर
3. तीर्थ यात्रा योजना, 2017 के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली यात्री गाडियों के प्रारम्भ स्टेशन एवं बोर्डिंग स्टेशन अनुसार प्रस्तावित योजना
4. यात्रा हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम का कलेण्डर
5. जिलेवार यात्रियों की तीर्थस्थल की प्राथमिकतावार संख्या
6. कार्मिकों एवं तीर्थयात्रियों के लिए दिशानिर्देश
7. देवस्थान विभाग के अधिकारियों के संपर्क नम्बर तथा कन्ट्रोल रूम के नम्बर

1. यात्रा हेतु तीर्थ स्थल व प्रस्थान स्थल

<table>
<tr><th colspan="2">–ः रेल यात्रा हेतु तीर्थ स्थान ः–</th></tr>
<tr><td colspan="2">1.वैष्णोदेवी 2.अमृतसर 3.गया–बोधगया–काशी–सारनाथ 4.सम्मेदशिखर 5.बिहार शरीफ 6.जगन्नाथपुरी, 7.द्वारकापुरी 8.शिरडी 9.गोवा 10.तिरुपति 11.रामेश्वरम् 12.पटना साहिब 13.श्रवणबेलगोला</td></tr>
<tr><td>तीर्थ यात्रा रेल का प्रस्थान स्थल ः–</td><td>जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर</td></tr>
<tr><th colspan="2">–ः हवाई यात्रा हेतु तीर्थ स्थान ः–</th></tr>
<tr><td colspan="2">1. रामेश्वरम् ः– चेन्नई / मदुरई तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा 2. तिरुपति ः– चेन्नई तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा
3. जगन्नाथपुरी ः– भुवनेश्वर तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा 4. शिरडी ः– मुम्बई तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा
5. सम्मेद शिखर ः– कलकत्ता चेन्नई तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा 6. बिहार शरीफ ः– पटना तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा
7. अमृतसर 8. गोवा 9. वाराणसी (काशी)–सारनाथ 10. पटना साहिब</td></tr>
<tr><td>तीर्थ यात्रा हवाई जहाज का प्रस्थान स्थल ः–</td><td>जयपुर, जोधपुर, उदयपुर</td></tr>
</table>

2 वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की गतिविधियों का कलेण्डर ः–

क्र.सं.	गतिविधियां	तिथि
1	ट्रेन प्रभारी चिकित्सा प्रभारी, नर्सिंग स्टाफ, अनुरक्षकों का चयन	25.10.2017
3	प्रथम यात्री गाड़ी रवानगी (संभावित)	4.11.2017

नोटः– यात्रा के विस्तृत कार्यक्रम से शीघ्र सूचित किया जाएगा।

3 तीर्थ यात्रा योजना, 2017 के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली यात्री गाडियों के प्रारम्भ स्टेशन एवं बोर्डिंग स्टेशन अनुसार प्रस्तावित योजना

ट्रेन नं.	कहाँ से	कहाँ तक	प्रस्तावित ट्रेनों की संख्या	बोर्डिंग स्टेशन
1	जयपुर	रामेश्वरम्	3	जयपुर–सवाई माधोपुर–कोटा
2	जोधपुर	रामेश्वरम्	1	जोधपुर–अजमेर–चंदेरिया
3	अजमेर	रामेश्वरम्	1	अजमेर–भीलवाड़ा–चंदेरिया
4	बीकानेर	रामेश्वरम्	1	बीकानेर–जोधपुर–आबूरोड
5	उदयपुर	रामेश्वरम्	1	उदयपुर–रतलाम–कोटा
6	जयपुर	जगन्नाथपुरी	2	जयपुर–अजमेर–भीलवाड़ा–कोटा–चंदेरिया
7	जोधपुर	जगन्नाथपुरी	1	जोधपुर–मेडतारोड–जयपुर
8	अजमेर	जगन्नाथपुरी	1	अजमेर–भीलवाडा–चंदेरिया
9	जयपुर	तिरूपति	1	जयपुर–सवाई माधोपुर–कोटा
10	बीकानेर	तिरूपति	1	बीकानेर–मेडतारोड–जोधपुर–आबूरोड
11	उदयपुर	वैष्णोदेवी	1	उदयपुर–अजमेर–जोधपुर
12	भरतपुर	द्वारकापुरी	1	भरतपुर–जयपुर–अजमेर–आबूरोड
	कुल ट्रेन संख्या		**15**	

4. जिलेवार यात्रियों की तीर्थस्थल की प्राथमिकतावार संख्या

दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2017

प्रथम वरीयता अनुसार तीर्थ यात्रियों की संख्या ट्रेन यात्रा हेतु(जीवनसाथी/सहायक को जोड़ते हुए)

क्र. सं.	जिला	जिले का कोटा	रामेश्वरम्	जगन्नाथपुरी	तिरूपति	वैष्णोदेवी	अमृतसर	द्वारिकापुरी	शिरडी	गयाकाशी	सम्मेद शिखर	बिहार शरीफ	गोवा	श्रवण बेलगोला	पटना साहिब	वाराणसी (काशी)	कुल योग
1	जयपुर	1190	516	238	211	46	3	86	32	17	4	0	24	9	2	2	1190
2	अलवर	614	268	121	86	34	11	42	24	11	2	0	9	0	2	4	614
3	सीकर	232	79	43	39	40	0	16	4	5	0	0	2	0	0	4	232
4	झुन्झुनू	189	95	18	38	12	2	7	13	2	0	0	2	0	0	0	189
5	दौसा	343	147	97	27	14	0	35	17	0	0	0	2	0	0	4	343
	कुल योग	**2568**	**1105**	**517**	**401**	**146**	**16**	**186**	**90**	**35**	**6**	**0**	**39**	**9**	**4**	**14**	**2568**
6	भरतपुर	532	203	113	57	38	3	55	17	0	6	0	17	17	2	4	532
7	धौलपुर	169	64	25	20	22	0	23	2	0	3	0	8	0	0	2	169
8	करौली	172	76	46	24	12	0	10	4	0	0	0	0	0	0	0	172
9	सवाई माधोपुर	388	214	100	12	14	2	33	1	5	0	4	0	1	0	2	388
	कुल योग	**1261**	**557**	**284**	**113**	**86**	**5**	**121**	**24**	**5**	**9**	**4**	**25**	**18**	**2**	**8**	**1261**
10	कोटा	1178	502	300	87	93	5	156	7	6	2	2	7	6	0	4	1177
11	बूंदी	406	209	120	27	17	0	19	2	4	0	0	2	6	0	0	406
12	बारां	1054	409	271	37	148	4	147	8	18	4	2	1	0	2	2	1053
13	झालावाड़	1090	405	373	76	107	6	87	16	7	5	1	3	0	0	4	1090
	कुल योग	**3728**	**1525**	**1064**	**227**	**365**	**15**	**409**	**33**	**35**	**11**	**5**	**13**	**12**	**2**	**10**	**3726**
14	जोधपुर	630	290	145	95	44	4	17	15	8	2	0	0	0	0	10	630
15	पाली	410	165	90	58	48	9	14	4	13	0	0	6	2	0	1	410
16	सिरोही	413	145	138	25	65	0	11	25	2	0	0	0	0	0	2	413
17	जालोर	167	81	42	26	12	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	167
18	जैसलमेर	40	5	20	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	11	40

19	बाड़मेर	186	73	23	14	45	13	6	2	4	0	0	0	0	0	6	186
	कुल योग	**1846**	**759**	**458**	**218**	**216**	**26**	**50**	**46**	**31**	**2**	**2**	**6**	**2**	**0**	**30**	**1846**
20	अजमेर	648	254	141	118	41	0	34	22	14	2	0	8	0	3	11	648
21	भीलवाड़ा	489	234	153	44	21	2	22	4	0	4	1	0	2	0	2	489
22	टोंक	409	147	128	54	23	0	31	6	6	4	0	5	4	0	1	409
23	नागौर	566	291	80	73	57	4	33	2	23	0	0	0	0	0	3	566
	कुल योग	**2112**	**926**	**502**	**289**	**142**	**6**	**120**	**34**	**43**	**10**	**1**	**13**	**6**	**3**	**17**	**2112**
24	बीकानेर	312	191	44	23	13	3	12	9	2	0	2	3	0	0	10	312
25	चूरू	260	134	57	24	6	0	16	10	3	4	0	4	0	0	2	260
26	हनुमानगढ़	237	139	16	25	12	1	22	2	2	2	2	6	0	4	4	237
27	श्री गंगानगर	258	78	52	50	14	0	21	10	15	2	0	6	0	2	8	258
	कुल योग	**1067**	**542**	**169**	**122**	**45**	**4**	**71**	**31**	**22**	**8**	**4**	**19**	**0**	**6**	**24**	**1067**
28	उदयपुर	812	398	145	89	67	5	25	10	10	19	18	7	5	2	12	812
29	चित्तौड़गढ़	614	300	141	60	61	6	18	6	10	6	1	4	0	0	1	614
30	राजसमंद	178	106	20	11	20	0	0	2	2	2	4	2	1	0	8	178
31	प्रतापगढ़	369	160	79	71	15	2	24	6	4	4	0	0	0	0	4	369
32	बांसवाड़ा	229	126	37	35	17	2	2	1	3	6	0	0	0	0	0	229
33	डूंगरपुर	216	91	50	52	13	7	0	2	1	0	0	0	0	0	0	216
	कुल योग	**2418**	**1181**	**472**	**318**	**193**	**22**	**69**	**27**	**30**	**37**	**23**	**13**	**6**	**2**	**25**	**2418**
	महा योग	**15000**	**6595**	**3466**	**1688**	**1193**	**94**	**1026**	**285**	**201**	**83**	**39**	**128**	**53**	**19**	**128**	**14998**

दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2017

प्रथम वरीयता अनुसार तीर्थ यात्रियों की संख्या हवाई यात्रा हेतु (जीवनसाथी/सहायक को जोड़ते हुए)

क्र.सं.	जिला	जिले का कोटा	रामेश्वरम्	जगन्नाथपुरी	तिरूपति	शिरडी	सम्मेद शिखर	बिहार शरीफ	वाराणसी (काशी)	कुल योग
1	जयपुर	599	269	158	111	39	17	0	5	599
2	अलवर	234	99	74	30	26	1	2	2	234
3	सीकर	104	39	23	21	8	10	2	1	104
4	झुन्झुनू	74	33	8	13	20	0	0	0	74
5	दौसा	127	58	30	13	18	0	2	6	127
	कुल योग	**1138**	**498**	**293**	**188**	**111**	**28**	**6**	**14**	**1138**
6	भरतपुर	145	61	35	24	15	6	0	4	145
7	धौलपुर	52	28	8	9	5	2	0	0	52
8	करौली	68	30	23	15	0	0	0	0	68
9	सवाई माधोपुर	85	46	18	15	2	4	0	0	85
	कुल योग	**350**	**165**	**84**	**63**	**22**	**12**	**0**	**4**	**350**
10	कोटा	330	192	61	29	22	18	0	8	330
11	बूंदी	164	68	49	30	5	4	1	7	164
12	बारां	232	91	104	13	6	12	0	4	230
13	झालावाड़	365	170	120	46	6	9	0	14	365
	कुल योग	**1091**	**521**	**334**	**118**	**39**	**43**	**1**	**33**	**1089**
14	जोधपुर	176	65	57	31	2	8	2	11	176
15	पाली	127	59	36	20	7	3	0	2	127
16	सिरोही	53	18	13	16	4	2	0	0	53
17	जालोर	29	13	8	6	0	0	0	2	29
18	जैसलमेर	10	4	4	0	0	2	0	0	10
19	बाड़मेर	77	18	29	20	8	0	0	2	77
	कुल योग	**472**	**177**	**147**	**93**	**21**	**15**	**2**	**17**	**472**

20	अजमेर	170	65	56	36	8	1	0	4	170
21	भीलवाड़ा	178	94	50	21	0	7	0	6	178
22	टोंक	151	63	57	27	0	0	0	4	151
23	नागौर	122	50	31	38	1	2	0	0	122
	कुल योग	**621**	**272**	**194**	**122**	**9**	**10**	**0**	**14**	**621**
24	बीकानेर	97	57	11	22	3	4	0	0	97
25	चूरू	65	29	18	10	2	0	0	6	65
26	हनुमानगढ़	54	21	8	12	2	3	1	7	54
27	श्री गंगानगर	60	21	20	14	3	0	0	2	60
	कुल योग	**276**	**128**	**57**	**58**	**10**	**7**	**1**	**15**	**276**
28	उदयपुर	375	184	93	37	18	26	13	4	375
29	चित्तौड़गढ़	288	149	80	37	2	12	0	8	288
30	राजसमंद	66	40	6	12	2	0	0	6	66
31	प्रतापगढ़	115	55	28	17	5	8	0	2	115
32	बांसवाड़ा	110	54	34	11	3	8	0	0	110
33	डूंगरपुर	98	38	24	28	2	4	0	2	98
	कुल योग	**1052**	**520**	**265**	**142**	**32**	**58**	**13**	**22**	**1052**
	महा योग	**5000**	**2281**	**1374**	**784**	**244**	**173**	**23**	**119**	**4998**

5 कार्मिकों के लिये दिशा निर्देश

तीर्थ यात्रा हेतु ट्रेन/हवाई यात्रा के प्रभारी के दायित्व

1. देवस्थान विभाग द्वारा ट्रेन/हवाई प्रभारी यात्रा के दौरान उस यात्रा विशेष के प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, जिनके अधीन आवश्यक संख्या में अनुरक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ट्रेन यात्रा में सामान्यतः प्रत्येक कोच में न्यूनतम एक अनुरक्षक की नियुक्ति की जाती है।

2. ट्रेन/हवाई प्रभारी यात्रा के दौरान अनुरक्षकों , देवस्थान विभाग के अधिकारियों , आई.आर.सी.टी.सी./ एयर एजेन्सीज एवं रेलवे/हवाई के अधिकारियों से समन्वय कर उनसे निरंतर संपर्क कर यात्रा हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना।

3. ट्रेन/हवाई प्रभारी एवं सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग स्टेशन/एयरपोर्ट के समीप स्थापित काउंटर पर एकत्रित यात्रियों को अनुरक्षकों , चिकित्सा अधिकारी, आई.आर.सी.टी.सी./एयर एजेन्सीज के अधिकारियों के माध्यम से यात्रा के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देंगे।

4. ट्रेन/हवाई प्रभारी अनुरक्षकों द्वारा ट्रेन/हवाई जहाज में यात्रियों को बैठाते समय , हवाई जहाज में बोर्डिंग कराते समय, यात्रियों को दर्शन हेतु ट्रेन/हवाई जहाज से उतरते एवं पुनः दर्शन से लौटने पर उनकी गिनती कर उन्हें ट्रेन/हवाई में निर्धारित स्थल पर बैठाने के बाद ली गई उपस्थिति की समीक्षा करेगा। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाये कि यात्रा के दौरान कोई यात्री छूट न जाएं।

5. ट्रेन प्रभारी सहायक आयुक्त से प्राप्त यात्री सूची अनुसार ही ट्रेन/हवाई जहाज में यात्रियों को बिठाएंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि सूची के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति यात्रा न करें।

6. ट्रेन/हवाई प्रभारी यात्रा के दौरान किसी यात्री के अस्वस्थ होने की स्थिति में तत्काल ट्रेन में उपलब्ध चिकित्सक एवं चिकित्सा स्टाफ को सूचित कर उनके समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

7. आई.आर.सी.टी.सी./एयर एजेन्सीज के स्टाफ द्वारा यात्रियों को दिये जाने वाले नाश्ता, भोजन एवं पेयजल व्यवस्था संबंधित पूरा ध्यान रखेंगे।

8. यात्रा के दौरान आकस्मिक स्थिति में चिकित्सा दवाई आदि के लिये 20,000/- रू. की राशि व्यय करने हेतु अधिकृत होंगे। यह राशि आई.आर.सी.टी.सी. के ट्रेन प्रभारी के पास उपलब्ध रहेगी।

सूचना उपलब्ध कराने संबंधी निर्देश-

9. ट्रेन/हवाई प्रभारी यात्रा के दौरान प्रत्येक गतिविधि की सूचना रेलवे/हवाई तथा देवस्थान विभाग के अधिकारियों को देंगे।

10. यात्रा के दौरान किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में तत्काल आई.आर.सी.टी.सी. रेलवे एवं देवस्थान विभाग के निर्धारित कंट्रोल रूम में व अधिकारियों को सूचित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

11. ट्रेन/हवाई प्रभारी यात्रा की समाप्ति पर वास्तविक यात्रियों के नाम , अनुपस्थित यात्रियों के नाम, प्रतिस्थापित यात्रियों के नाम (प्रतीक्षा सूची से) , कुल यात्री संख्या का कोचवार विवरण प्रमाणित कर सहायक आयुक्त , देवस्थान को प्रस्तुत करेंगे।

12. प्रभारी व अनुरक्षक को अपने साथ आवश्यक रूप में स्मार्टफोन की सुविधायुक्त मोबाइल फोन रखना होगा, ताकि वे आवश्यकता पडने पर इन्टरनेट एवं सोशल एप के माध्यम से जुडे रह सकें। इस संबंध में देवस्थान विभाग द्वारा आवश्यक एप भी प्रयोग हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है।

13. प्रभारी व अनुरक्षकों के लिए भी तीर्थयात्रियों हेतु निर्धारित समस्त नियम लागू होंगे।

तीर्थ यात्रा हेतु स्पेशल ट्रेन/हवाई अनुरक्षकों के दायित्व

1. रेलवे स्टेशन/एयर पोर्ट के समीप काउंटर पर यात्रियों को एकत्र कर उनसे आधार/भामाशाह पहचान पत्र , पासपोर्ट साईज के दो रंगीन फोटो प्राप्त कर मौके पर टूयूर वाऊचर (यात्रा टिकट) प्रदान करना।

2. सहायक आयुक्त से यात्रियों के विवरण की सूची प्राप्त करेंगे, जिसमें उनके पते एवं संपर्क नम्बर हों।

3. ट्रेन/हवाई जहाज में अपनी बोगी/सीट में यात्रा करने वाले वास्तविक यात्रियों के नाम की सूची बनाना व उपस्थिति पर उनके हस्ताक्षर कराना। उपस्थित एवं अनुपस्थित यात्रियों की सूचना सहायक आयुक्त, देवस्थान को देंगे।

4. अनुरक्षक सहायक आयुक्त से प्राप्त यात्रियों की सूची अनुसार ही अपनी बोगी/हवाई जहाज में आवंटित सीट में यात्रियों को बिठाएंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि सूची के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति यात्रा न करें।

5. अनुरक्षक, ट्रेन प्रभारी/हवाई प्रभारी , चिकित्सा अधिकारी एवं आई.आर.सी.टी.सी./हवाई जहाज के अधिकारियों से संपर्क कर उनके मोबाइल नंबर अपने पास रखेंगे और यात्रा के दौरान कोच के यात्रियों की देखभाल, खाने पीने एवं ठहरने , तीर्थ स्थल पर सुरक्षित रूप से दर्शन करवाने की आवश्यक व्यवस्थाएं आपसी समन्वय कर सुनिश्चित करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बस द्वारा तीर्थ स्थल जाते एवं आते समय कोई यात्री अपने समूह से बिछड़ न जाये। किसी भी प्रकार की स्थिति होने पर तत्काल ट्रेन प्रभारी/हवाई प्रभारी को सूचित करेंगे।

6. आवंटित कोच/हवाई जहाज के यात्रियों के ट्रेन/हवाई जहाज से उतरते समय , तीर्थ स्थल पर दर्शन के दौरान एवं पुनः ट्रेन/हवाई जहाज में बैठते समय यात्रियों की उपस्थिति की गणना की जाना सुनिश्चित करेंगे।

7. अनुरक्षक ट्रेन/हवाई जहाज में नियुक्त ट्रेन प्रभारी/हवाई प्रभारी से समन्वय कर यात्रा के दौरान उनके द्वारा दिये गये आवश्यक निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगा।

8. अनुरक्षक यात्रा की समाप्ति पर वास्तविक यात्रियों के नाम, अनुपस्थित यात्रियों के नाम, प्रतिस्थापित यात्रियों के नाम (प्रतीक्षा सूची से), कुल यात्री संख्या का विवरण प्रमाणित कर सहायक आयुक्त, देवस्थान को प्रस्तुत करेंगे।

9. अनुरक्षक को अपने साथ आवश्यक रूप में स्मार्टफोन की सुविधायुक्त मोबाइल फोन रखना होगा।

चिकित्सा अधिकारी के दायित्व

1. स्पेशल ट्रेन में यात्रा के दौरान प्राथमिक चिकित्सा संबंधी एवं आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों एवं आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. आवश्यकतानुसार प्रतिदिन सुबह एवं शाम यात्रियों के स्वास्थ्य के संबंध में सूचना लेते हुए ट्रेन प्रभारी अधिकारी/आई.आर.सी.टी. के स्टाफ एवं अनुरक्षकों से समन्वय रखते हुए यात्रियों की स्वास्थ्य की समुचित देखभाल करना।
3. पेन्ट्री कार के माध्यम से तैयार किये जाने वाले नाश्ता एवं भोजन की गुणवत्ता की जाँच सुनिश्चित करना।
4. यात्रियों के उनके स्वास्थ्य के संबंध में समुचित दिशा-निर्देश प्रदान करना।

तीर्थयात्रियों के लिए दिशा निर्देश एवं आवश्यक अपेक्षाएं

सामान्य निर्देश -

1. तीर्थ यात्रा संभाग के निर्धारित मुख्यालयों से प्रारंभ की जायेगी। इसकी सूचना एस एम एस तथा विभाग के पोर्टल (वेबसाइट) के माध्यम से दी जाएगी.
2. तीर्थ यात्रियों को यात्रा प्रारंभ होने वाले संभाग मुख्यालय के रेलवे स्टेशन/एयर पोर्ट तक एवं वापसी में रेलवे स्टेशन/एयर पोर्ट से अपने निवास स्थान तक स्वयं के खर्चे से पहुंचना होगा।
3. एक बार यात्रा शुरू करने पर यात्री यदि बीच में यात्रा छोडना चाहेगा , तो उसे इस प्रकार की सुविधा नहीं दी जायेगी।
4. यात्री अपने निर्धारित अनुरक्षक के संपर्क में रहें एवं उनके निर्देशों का पालन करेंगे।
5. सभी यात्री पूर्ण यात्रा के दौरान यात्रा कार्ड अपने साथ रखें , मांगने पर अनुरक्षक को दिखाएं। खो जाने पर अनुरक्षक को सूचित करें।
6. यात्री यात्रा के दौरान विभाग द्वारा प्रदत्त अपना ट्यूर वाऊचर (यात्रा टिकट) सुरक्षित रखेगा , उचित होगा कि यात्री अपनी ट्रेन/हवाई जहाज/बस/कोच आदि का नम्बर भी लिख कर सुरक्षित कर लें ताकि आवश्यकता पडने पर उसे खोजने में सुविधा हो।
7. यात्री रेलगाड़ी/हवाई जहाज में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा प्रसारित संदेशों को ध्यान से सुनें एवं उनका पालन करें।
8. समस्त यात्री आवश्यकतानुसार अपने सहयात्रियों का फोन नम्बर सुनिश्चित कर लें। यात्रा के प्रभारी/अनुरक्षक इस हेतु आवश्यक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकेंगे।
9. सभी यात्री साथी यात्रियों, सहयात्री महिलाओं का ध्यान रखें तथा एक दूसरे की सहायता करें।
10. ट्रेन/हवाई जहाज यात्रा में यथानुरूप रेल एवं विमान संबंधी नियमों की पालना बाध्यकारी होगी , अतः यात्री आई.आर.सी.टी.सी./एजेन्सी द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों की पूर्ण पालना करें।
11. यात्रा के दौरान स्पेशल ट्रेन/हवाई जहाज एवं तीर्थ स्थल पर धूम्रपान एवं मद्यपान वर्जित रहेगा।
12. तीर्थयात्री तीर्थ की मर्यादा अनुसार आचरण करेंगे एवं तीर्थ दर्शन/ पूजन के समय मर्यादा एवं अनुशासन बनाये रखेंगे, ताकि प्रदेश की छवि अन्यथा प्रभावित न हो।
13. यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें एवं रेलवे स्टेशनों/एयरपोर्ट पर ट्रेन/हवाई जहाज में बैठने व उतरने में सावधानी बरतें।
14. रेलगाड़ी/हवाई जहाज से दर्शन पर जाने से पूर्व अपने सामान को लॉक करें तथा आई.आर.सी.टी.सी./हवाई एजेन्सीज के तैनात गार्ड को बताकर जायें।

15. प्लेटफार्म/एयरपोर्ट पर जाने के लिये पैदल पुल एवं अन्य निर्देशों का पालन करें।

16. यात्रा के दौरान रास्ते में ट्रेन में बेवजह चेन पुलिंग नहीं करें तथा यात्रा के दौरान रास्ते में ट्रेन के रुकने पर इधर-उधर नहीं उतरें।

17. तीर्थयात्रा के दौरान एजेन्सीज के माध्यम से निर्धारित समय एवं स्थल पर चाय , नाश्ता, भोजन इत्यादि की निःशुल्क व्यवस्था की गई है , जिसके अन्तर्गत सुबह- चाय , काफी, नाश्ता दोपहर का भोजन , शाम की चाय एवं रात्रि भोजन आदि सम्मिलित हैं। पीने हेतु आर.ओ. का शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जायेगा। ट्रेन से जाने वाले यात्रियों को उक्त भोजन सुविधा रेल यात्रा के दौरान भी दी जाएगी। हवाई यात्रा में यह सुविधा केवल निर्धारित विश्राम स्थल पर की जाती है।

18. यात्री को यात्रा अवधि में निर्धारित नियम के साथ-साथ समय का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा। उन्हें तैयार होने हेतु जो भी समय दिया जाए, उससे पूर्व में तैयार होना सुनिश्चित करें।

19. यदि कोई यात्री यात्रा के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित देय सुविधाओं के अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है, तो उसका भुगतान उसे स्वयं करना होगा। तीर्थयात्रा के दौरान खरीददारी के समय इस बात का विशेष ध्यान रखें।

20. अस्वस्थ होने की स्थिति में तत्काल ट्रेन में उपलब्ध चिकित्सक एवं चिकित्सा स्टाफ को सूचित करें। किसी आपात स्थिति में प्रभारी, अनुरक्षक व देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित कंट्रोल रूम में सूचित करें।

21. यात्री विभाग द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का पूर्ण पालन करेंगे एवं दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

22. समस्त यात्रियों/अनुरक्षकों के रुकने की व्यवस्था सामान्यतः वातानुकूलित नहीं होगी और प्रत्येक को पृथक कक्ष देने के बजाय हाल/डोरमेट्री में रुकने की व्यवस्था की जाएगी। अतः इस संबंध में अतिरिक्त सुविधा की मांग न करें।

यात्रा में ले जाने हेतु सामग्री संबंधी निर्देश -

23. यात्रा के संबंध में निम्न दस्तावेज लाना सुनिश्चित करें -
    - आधार/भामाशाह पहचान पत्र,
    - पासपोर्ट साईज के दो रंगीन फोटो
    - कोई अन्य अतिरिक्त पहचान पत्र, जिसे यात्री आधार/भामाशाह पहचान पत्र के अतिरिक्त ले जाना चाहे।
    - आवेदन की प्रति या आवेदन क्रमांक
24. रेल/एयर पोर्ट पर बोर्डिंग करते समय यात्री अपने मूल दस्तावेज साथ रखें। उचित होगा कि समस्त दस्तावेजों को तीर्थयात्री किसी अलग फोल्डर या बैग में इस प्रकार रखे कि वह आसानी से मिल सके। तीर्थयात्री आवश्यकतानुसार इनकी अतिरिक्त रूप में फोटो कॉपी भी रख सकता है।

25. तीर्थयात्री अपने साथ मोबाइल फोन अवश्य रखें। उचित होगा कि वे अपने साथ स्मार्टफोन रखें ताकि वे आवश्यकता पडने पर इन्टरनेट एवं सोशल एप के माध्यम से जुडे रह सकें। इस संबंध में देवस्थान विभाग द्वारा आवश्यक एप भी प्रयोग हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है।

26. यात्री अपने साथ दैनिक उपभोग एवं आवश्यकता की सामग्री यथा यात्रा अवधि के लिए आवश्यक कपडे , यात्रा स्थान के अनुरूप गर्म या ठण्डे कपडे, स्नान आदि का सामान, बाथरूम स्लीपर/हवाई चप्पल, यदि किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो इस बाबत निर्धारित दवाईयां , आदि स्वयं साथ रखें। गीले कपडों के लिए यथा - आवश्यक पोलीथीन बैग रखना वांछनीय होगा। यह ध्यान रखें कि यात्रा की सामग्री बहुत अधिक अथवा भारी न हो, ताकि उन्हें लेकर जाने आने में असुविधा का सामना न करना पडे।

27. हवाई यात्रा के दौरान अपने सामान को दो बैग में रखना उचित होगा जिसमें एक बैग छोटा होगा और हैण्ड बैग के रूप में अपने साथ रखा जा सकेगा , अन्य बडा बैग अलग से सील बन्द/टैग होकर सामग्री केबिन में रखा जाएगा। यहां यह ध्यान रखें कि हवाई नियमों के अनुसार एक व्यक्ति हैंड बैग के रूप में अधिकतम 7 किलोग्राम तथा अन्य लगेज के रूप में अधिकतम 15 किलोग्राम भार का ही सामान अपने साथ ले जा सकता है। इस संबंध में हवाई नियमों का भी अवलोकन उचित होगा।

28. अपने बैग पर समुचित पहचान हेतु बडे अक्षरों में अपना नाम लिख लेना लाभदायक रहेगा। उसमें समुचित लॉक लगाने की जिम्मेदारी तीर्थयात्री की होगी।

29. तीर्थयात्रा के दौरान आवश्यक बिस्तर-चादर , कम्बल आदि की व्यवस्था देवस्थान विभाग द्वारा यात्रा हेतु अनुमत एजेंसी के द्वारा विश्राम स्थल पर उपलब्ध कराई जाती है। रेलयात्रा में यात्रा के दौरान भी बिस्तर-चादर , कम्बल आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होती है। अतः तदनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।

30. तीर्थयात्रा के दौरान निर्धारित समय पर भोजन/ नाश्ता आदि की व्यवस्था देवस्थान विभाग द्वारा यात्रा हेतु अनुमत एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है , किन्तु यदि तीर्थयात्री अपने साथ कुछ भोजन सामग्री ले जाना चाहता है, तो वह अनुमत रहेगा। यह ध्यान रखें कि इसमें कोई तरल पदार्थ न रहे।

31. यात्री किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ अथवा मादक पदार्थ किसी भी रूप में साथ नहीं ले जा सकेंगे। हवाई यात्री अपने साथ केबिन लगेज में चाकू, कैंची एवं अन्य धारदार वस्तुएं नहीं ले जा सकेंगे।

32. यात्री अपने साथ कोई मूल्यवान वस्तु तथा आभूषण आदि भी नहीं ले जा सकेंगे। अपने साथ ले जाई जाने वाली धनराशि, क्रेडिट/डेबिट/एटीएम कार्ड की समुचित सुरक्षा का ध्यान रखना यात्री का दायित्व होगा।

मन्त्रालय के फोन नम्बर

क्र.सं.	मंत्री महोदय/नाम अधिकारी	दूरभाष नम्बर		
		कार्यालय	निवास	ई-मेल आई.डी.
1.	श्री राजकुमार रिणवां राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) देवस्थान विभाग, कमरा नम्बर 6110, मंत्रालय भवन, शासन सचिवालय, राजस्थान-जयपुर।	0141-2227681 0141-5153222 **EX-** 21252	0141- 2221330 94140-85140	smdeva17@gmail.com
2	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा निजी सचिव	0141-2227681 0141-5152600	94140-51031 94144-67972	smdeva17@gmail.com
3	श्री बजरंग लाल शर्मा, अनुभागाधिकारी		94133-34679	
4	श्री किशनलाल शर्मा, निजी सहायक		94133-44830	
5	श्री अभिमन्यू शर्मा निजी सहायक		99507-76105	
6	श्री योगेश शर्मा लिपिक ग्रेड-I		93093-42411	
7	विधान सभा	0141-2743911		

देवस्थान विभाग के अधिकारीगण के फोन नम्बर

क्र.सं.	नाम अधिकारी	दूरभाष नं0		
		कार्यालय	निवास	ई-मेल आई.डी.
1.	डॉ0 कृष्णा कान्त पाठक शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान-जयपुर	0141-2227046 0141-2227216 (फेक्स)	94133-89090 0141-2701166	krishnakant.pathak@rajasthan.gov.in
2	श्री बृजमोहन अग्रवाल अतिरिक्त निजी सचिव, शासन सचिव, देवस्थान	0141-2227046 0141-2227216 (फेक्स)	99283-82828	krishnakant.pathak@rajasthan.gov.in
3.	श्री करण सिंह गोठवाल संयुक्त शासन सचिव, देवस्थान	0141-2385215 0141-5153222 Ex. 24161	94140-50652 99283-52952	dsdevasthan@hotmail.com
4	श्री ओ0 पी0 शर्मा, उप शासन सचिव, देवस्थान	0141-2385215 0141-5153222 Ex. 24121	99294-29750	dsdevasthan@hotmail.com
5.	श्री कमल मीना सहायक शासन सचिव, देवस्थान	0141-5153222 Ex. 24163	97996-76799	dsdevasthan@hotmail.com

देवस्थान विभाग मुख्यालय उदयपुर पर पदस्थापित अधिकारीगण के निवास एवं दूरभाष

क्र.सं	नाम अधिकारी	दूरभाष नम्बर		ई-मेल आई.डी.
		कार्यालय	निवास	
1.	श्री जितेन्द्र कुमार उपाध्याय आयुक्त	0294-2426130 2524813 PBX 2423440 FAX	94141-33533 0294-2463333	hq.dev@rajasthan.gov.in
2	श्री अशोक कुमार, अतिरिक्त आयुक्त	0294-2410330	94141-70625	
3.	श्रीमति भारती राज, वित्तीय सलाहकार	0294-2417844	94141-65527	bhartir31@gmail.com
4.	श्री जतीन गांधी, उपायुक्त मुख्यावास (अति0 चार्ज)	0294-2524813 PBX	94136-64373	
5.	श्री जतीन गांधी सहा0 आयुक्त मुख्यावास (अति0 चार्ज)	0294-2524813 PBX	94136-64373	
6.	श्री अभय कुमार मेहता, सहायक लेखाधिकारी (प्रथम)	0294-2524813 PBX	99508-62927	
7.	श्री समरथमल साहू, संयुक्त विधि परामर्शी (अति0 चार्ज)	0294-2524813 PBX	94141-59800	
8.	श्री गोतम सिंह सहा0 अभियंता संविदा (मु0)	0294-2524813 PBX	94144-00018	

सहायक आयुक्तों के दूरभाष नम्बर एवं पता

क्र.सं.	नाम अधिकारी	सहायक आयुक्त कार्यालय	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	मोबाइल नंबर	ई-मेल आई.डी.
1.	श्री जतिन गांधी स0 आ0 मुख्यावास (अति0 चार्ज)	2, पंचवटी, उदयपुर।	0294-2524813	94136-64373	hq.dev@rajasthan.gov.in
2.	श्री के0 के0 खण्डेलवाल स0 आ0 भरतपुर	मंदिर श्री लक्ष्मणजी, मुख्य बाजार, भरतपुर।	05644-228405	80949-55980	ac.bharatpur.dev@rajasthan.gov.in
3.	श्री सुनील मत्तड स0 आ0 वृन्दावन	मंदिर श्री राधामाधव जी (जयपुर मंदिर)	0565-2455146	86969-17101	ac.vrindavan.dev@rajasthan.gov.in

		मथुरा रोड़, वृन्दावन।			
4	श्री राजीव कुमार पाण्डे स0 आ0 जयपुर-प्रथम	मंदिर श्री रामचन्द्रजी, पुरानी विधानसभा भवन के सामने , जयपुर	0141-2614404	98293-22033	ac.jaipur1.dev@rajasthan.gov.in
5.	श्रीमती ऋचा गर्ग, स0 आ0 जयपुर-द्वितीय	मंदिर श्री रामचन्द्रजी, पुरानी विधान सभा भवन के सामने,जयपुर।	0141-2611341	95304-58086	ac.jaipur2.dev@rajasthan.gov.in
6.	श्री गिरिश बचानी,स0 आ0 अजमेर	नये लोक सेवा आयोग के सामने, प्राईवेट बस स्टेण्ड के पास, यूथ हास्टल के पीछे, कांकरदा, भूणाभाय, अजमेर	0145-2970444	99290-97890	ac.ajmer.dev@rajasthan.gov.in
7	श्री महेन्द्र देवतवाल स0 आ0 कोटा	मंदिर श्री फूल बिहारी जी,लाड़पुरा, कोटा।	0744-2326031	98292-53541	ac.kota.dev@rajasthan.gov.in
8.	श्री ओम प्रकाश पालीवाल, स0 आ0 बीकानेर (अति0 चार्ज)	मंदिर श्री राजरतन बिहारी जी, बीकानेर।	0151-2226711	94140-43696	ac.bikaner.dev@rajasthan.gov.in
9.	श्री जतीन गांधी स0 आ0 उदयपुर	देवदर्शन होटल, सूरजपोल, उदयपुर।	0294-2420546	94136-64373	ac.udaipur.dev@rajasthan.gov.in
10.	डॉ0 सुश्री प्रियंका भट्ट, स0 आ0 ऋषभदेव	ऋषभदेव मंदिर।	02907-230023	94616-59777	ac.rishbdev.dev@rajasthan.gov.in
11.	श्री ओम प्रकाशपालीवाल, स0 आ0 जोधपुर	श्री नैनीजी का मंदिर, महामन्दिर के पास, जोधपुर।	0291-2650361	94140-43696	ac.jodhpur.dev@rajasthan.gov.in
12.	श्री ओम प्रकाश पालीवाल, स0 आ0 हनुमानगढ (अति0 चार्ज)	जिला परिषद कार्यालय के पीछे, हनुमानगढ़ जंक्षन, हनुमानगढ।		94140-43696	ac.hanumangarh.dev@rajsthan.gov.in

राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्षः

शासन सचिवालय(मुख्य भवन) प्रथम–तल कमरा नं. 5112 (दूरभाष नं. 0141–2385215)

क्रं. सं.	नाम	प्रभारी	मो.नं.

श्री करणसिंह गोठवाल, संयुक्त शासन सचिव, देवस्थान		पर्यवेक्षक प्रभारी		94140-50652
1	ओम प्रकाश शर्मा, शासन उप सचिव, देवस्थान 1. श्री राकेश कुमार, जेएलो 2. श्री बंशीवाल, 3. श्री रामावतार कक्कड़ 4. श्री मदनलाल च.श्रे.क.	प्रभारी अधिकारी	अपरान्ह 2.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक	99294-29750
2	श्री कमल मीना, सहायक शासन सचिव, देवस्थान 1. श्री चन्द्रप्रकाश कटारिया,अ.अ. 2. श्री बलराम 3. श्री योगेन्द्र 4. श्री वहीद, च.श्रे.क.	प्रभारी अधिकारी	प्रातः 8.00 बजे से अपरान्ह 2. 00 बजे तक	97996-76799 96493-10397

तीर्थ यात्रा के संचालन/पर्यवेक्षण हेतु हैल्प डेस्क एयरपोर्ट सांगानेर एवं आयुक्तालय स्तर पर नियंत्रण कक्ष का गठन एवं कार्मिक/अधिकारीगण की नियुक्ति आयुक्त, देवस्थान, उदयपुर द्वारा की जावेगी।